संख्या 937/II–2007–03(04)/06

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1412/जि0यो0/2006–07 दिनांक 30.12.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा में तराड़ लिफ्ट सिंचाई योजना एवं जनता बहरो सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः रू0 12.00 लाख एवं रू0 35.00 लाख कुल रू0 47.00 लाख (रूपये सैंतालीस लाख मात्र), रू0 1.20 लाख नियमित बजट से एवं रू0 45.80 लाख की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः............2

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग दिनांक 31.3.07 तक कर लिया जायेगा।

9— धनराशि का आहरण डी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2301/XXVII (2) /2007 दि0 22 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 937 / II–2007–03(08)/06, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, सिंचाई।
2— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— वित्त अनुभाग–2।
4— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— कोषाधिकारी, अल्मोड़ा ।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

प्रपत्र–बी0एम–15

संलग्नक–1

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभागः सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2006–07 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुगानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 04–नलकूपों का निर्माण (आयोजनागत) 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें । 01–भारत निर्माण परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण 24–वहत् निर्माण कार्य 231863	–	–	231863 (क)	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव 91–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) 24–बृहत् निर्माण कार्य रू0 4580 (ख)	19328	227283	(क) भारत निर्माण कार्यक्रम का Perspective Plan तैयार करते समय कोई गाईड लाईन उपलब्ध नहीं थी तथा सभी सिंचाई संसाधनों के निर्माण/पुनरोद्धार हेतु Perspective Plan तैयार करते हुए तदनुसार बजट व्यवस्था की गयी थी किन्तु बाद में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का वित्त पोषित ए0आई0बी0पी0 के मानकों के अनुसार किया जायेगा। ए0आई0बी0पी0 के मानकों के अनुसार केवल सतही जल पर आधारित सिंचाई योजनाओं का निर्माण ही अनुमन्य है । अतः भूजल पर आधारित नलकूप निर्माण के कार्यों के लिये की गयी बजट व्यवस्था बचत है । (ख) बजट व्यवस्था आवश्यकता से कम होने के कारण ।
योग 231863	–	–	231863	4580	19328	227283	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं0– /(क)/XXVII(2)/2007
देहरादूनः दिनांक मार्च 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(टी0एन0सिंह) 22/3
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड
देहरादून।
सं0 937 /II–2007–03(03)/2006 दिनांक 23-3-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है :–

1. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।